समाहरणालय, सहरसा।
(जिला पंचायत शाखा)
::आदेश::

श्री रामभजन पासवान, तत्कालीन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सत्तर प्रखंड सत्तर कटैया सम्प्रति प्रखंड नवहट्टा प्रखंड से लोकायुक्त बिहार, पटना के कार्यालय से प्राप्त श्री अमरेन्द्र कुमार पिता–श्री नागेश्वर चौपाल, ग्राम–सत्तर, पंचगछिया के परिवाद पत्र की जाँच के क्रम में वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत सत्तरकटैया में शिक्षामित्र में नियोजन संबंधित संचिका/अभिलेख की माँग जिला पंचायत शाखा, सहरसा के ज्ञापांक 726, दिनांक 25.11.2014 से की गई। किन्तु श्री पासवान द्वारा इसे उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे शिक्षामित्र की जाँच से संबंधित परिवाद पत्र की जाँच बाधित रही। इस निमित्त स्वेच्छाचारिता, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के आरोप में श्री रामभजन पासवान, पंचायत सचिव, सत्तरकटैया के विरूद्ध प्रपत्र "क" में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई तथा पंचायत शाखा के ज्ञापांक 173, दिनांक 31.03.2015 से विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु वरीय उप समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी बैंकिग, सहरसा तथा संचालन में सहयोग करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्तरकटैया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार :–

क्र0	आरोप	आरोपी कर्मी का उत्तर	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य
1	लोकायुक्त बिहार कार्यालय से प्राप्त श्री अमरेन्द्र कुमार पिता –श्री नागेश्वर चौपाल ग्राम सत्तर, पंचगछिया के परिवाद पत्र की जाँच के क्रम में 2005 में ग्राम पंचायत सत्तर में शिक्षा मित्र के नियोजन से संबंधित संचिका/अभिलेख की मांग जिला पंचायत शाखा के ज्ञापांक 726 दिनांक 25.11.2014 से की गई। परन्तु आपके द्वारा संचिक/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे शिक्षा मित्र नियोजन से संबंधित परिवाद पत्र की जाँच वाधित है। इससे स्पष्ट है कि आप जान–बूझकर शिक्षा मित्र में वरती गई अनियमितता की जाँच में वाधा डालने के उद्देश्य से संचिका/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया है,	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 726/पं0 दिनांक 25.11.2014 द्वारा मुझसे वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत सत्तर से संबंधित सभी प्रभार सूची (विशेष कर शिक्ष नियोजन से संबंधित कागजात) 24 घंटे के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ स्वयं उपस्थित हो कर उपस्थापित करने का आदेश मुझे श्री अमरेन्द्र कुमार का परिवाद पत्र जो दिनांक 26.11.2014 को दिया गया। तत्क्षन संबंधित कागजात जो तत्कालिन प्रखंड प्रसार पदाधिकारी श्री भगवान ठाकुर द्वारा दिनांक 28. 08.2005 को मुझसे शिक्ष नियोजन 2005 से संबंधित था जाँच हेतु प्राप्त कर लिया गया था तथा प्राप्ति रसीद मेरे	इस संबंध में श्री पासवान के द्वारा कारणपृच्छा में बताया गया कि दिनांक 26.11.2014 को इनके द्वारा श्री भगवान ठाकुर तत्कालिन शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2005 को इनसे शिक्षक नियोजन 2005 से संबंधित कागजात प्राप्त कर लिये तथा प्राप्ति रसीद इन्होंने प्राप्त कर लिया था जिसकी छायाप्रति समाहर्त्ता महोदय के अवलोकनार्थ समर्पित किया गया। उक्त तथा कथित जाँच प्रतिवेदन श्री पासवान द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष भी उपस्थापित किया गया। श्री पासवान द्वारा उपलब्ध कराया गया उक्त तथा कथित प्राप्ति रसीद की प्रमाणिकता का कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे उक्त तथा कथित प्राप्ति रसीद के संदिग्ध एवं मनगढन्त होने की संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षक नियोजन 2005 के संबंधित कागजातों को उपलब्ध नहीं कराने की मंशा से श्री पासवान द्वारा मनगढन्त एवं अप्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध करायो जा रहे है। जहाँ तक आपत्तिकर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार द्वारा हस्ताक्षरित कागजात की मेरे द्वारा प्रमुख को पदत्याग की सूचना दी गई थी परन्तु प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना नहीं दी गई थी। इस कारण में पंचायत समिति पद पर ही बना रहा अब मुझे इस नियोजन पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। उक्त कागजात पर दिनांक 27.10.2008 तिथि अंकित

	यह आपकी स्वेच्छाचारिता, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता है।	द्वारा प्राप्त कर ली गई थी जिसकी छायाप्रति समाहर्त्ता महोदय के अवलोकनार्थ समर्पित किया गया था।	है। श्री पासवान ने उल्लेख किया है कि शिक्षक नियोजन संबंधित मामला 2005 का है जबकि आपतिकर्ता श्री अमरेन्द्र कुमार वर्ष 2008 में शिक्षा मित्र नियोजन के विरूद्ध माननीय लोकायुक्त महोदय को भेजा गया। श्री पासवान का उक्त कथन भी तर्कहीन है। किसी भी समयावधि में शिकायत किया जा सकता है। श्री पासवान द्वारा अपने लिखित पक्ष में अन्त में लिखा गया है कि आपत्तिकर्ता अमरेन्द्र कुमार द्वारा माननीय लोकायुक्त भेजे गये परिवाद पत्र पूर्णतः निराधार एवं षडयंत्र के तहत है। अतः निवेदन है कि मुझ पर लगाये गये आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय। श्री पासवान शिक्षा मित्र नियोजन 2005 से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाये किन्तु आपत्तिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 27.10.2008 के कागजात की छायाप्रति B. E. E. O. के पदनाम से किये गये हस्ताक्षर (दिनांक 28.08.2005) की तिथि साथ हस्ताक्षरित एक कागजात की छायाप्रति दिनांक 16.07.2005 की पंचायत समिति की बैठक की उपस्थिति पंजी की छायाप्रति जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक सर्वशिक्षा अभियान सहरसा के पत्रांक 832 दिनांक 9.01.2006 से जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति जो कहीं कहीं अपठनीय हैं उपलब्ध कराये गये है। इस सभी कागजातों में B. E. E. O. के पदनाम से किये गये हस्ताक्षर प्रमाणिकता का कोई आधार नहीं है। दिनांक 27.10.2008 को अपत्तिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित कागजात मनगढन्त प्रतीत होता है। ***श्री राम भजन पासवान पर अधिरोपित आरोप है कि इनके द्वारा वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत सत्तर में शिक्षा मित्र नियोजन से संबंधित संचिका/अभिलेख जान–बूझकर शिक्षा मित्र में नियोजन में बरती गई अनियमितता की जाँच में बाधा डालने के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, सही प्रतीत होता है।***

निष्कर्ष :– आरोपी पंचायत सचिव श्री राम भजन पासवान पंचायत सचिव के विरूद्ध लगाये गये आरोप की समीक्षा की गई। संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री राम भजन पासवान के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सही पाया गया। इस संदर्भ में आरोपी श्री राम भजन पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री राम भजन पासवान ने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहा है कि ग्राम पंचायत सत्तर शिक्षा मित्र में नियोजन 2005 से संबंधित संचिका/अभिलेख निम्न प्रकार है :–

01. कुल आवेदन पत्र।
02. कार्यवाही पंजी।
03. आवेदन प्राप्ति पंजी जो मुखिया द्वारा अभिप्रमाणित है।
04. खुद मुखिया/समिति की समीक्षात्मक बैठक।

श्री पासवान द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया गया है कि कागजात उन्होंने श्री भगवान ठाकुर, तत्कालीन प्रखंड प्रसार पदाधिकारी, सत्तरकटैया को हस्तगत करा दिया, जो उन्हें वापस प्राप्त नहीं हुआ है। श्री पासवान ने प्रमाण स्वरूप श्री भगवान ठाकुर द्वारा प्राप्त किये गए प्राप्ति प्रमाण–पत्र समर्पित किया है, जिस पर श्री ठाकुर का लघु हस्ताक्षर है।

आरोपी पंचायत सचिव श्री पासवान द्वारा समर्पित उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा से तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, श्री भगवान ठाकुर के हस्ताक्षर के सत्यापन प्रतिवेदन की माँग पंचायत शाखा के कार्यालय पत्रांक 438/सपत्र, दिनांक 21.12.2015 से की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा ने अपने कार्यालय पत्रांक 654, दिनांक 31.05.2016 से प्रतिवेदित किया है कि श्री भगवान ठाकुर तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सत्तरकटैया के हस्ताक्षर के नमूने से श्री राम भजन पासवान द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राप्ति रसीद पर अंकित हस्ताक्षर जो छायाप्रति है दोनो समान प्रतीत होता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा द्वारा उक्त पत्र के साथ तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सत्तरकटैया के कुछ हस्ताक्षर के नमूने की अभिप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न कर उपलब्ध कराया।

लोकायुक्त बिहार, पटना के कार्यालय में परिवाद दायर करने वाले परिवादकर्त्ता श्री अमरेन्द्र के परिवाद पत्र एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षोपरांत नैसर्गिक न्यायहित में परिवाद कर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, आरोपी पंचायत सचिव श्री रामभजन पासवान, संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा को सुनवाई हेतु पत्रांक 1210/पं0, दिनांक 04.06.2016 एवं 1231/पं0, दिनांक 16.06.2016 से बुलाया गया। आरोपी पंचायत सचिव श्री रामभजन पासवान द्वारा अपने पूर्व के दिये उत्तर को ही दोहराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पंचायत सचिव पर आरोप सही प्रतीत होने संबंधी तथ्य रखे गये। परिवाद कर्त्ता श्री अमरेन्द्र द्वारा बताया गया कि उन्हें शिक्षामित्र नियोजन संबंधी साक्षात्कार या कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ एवं उन्होंने कभी भी अपना दावा वापस नहीं लिया। शिक्षामित्र नियोजन 2005 में उनका वैटेज 15 था जबकि श्री परमेश्वरी शर्मा का वैटेज 10 था किन्तु षडयंत्र कर मुझे नियोजन से वंचित कर दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आरोपी पंचायत सचिव, श्री रामभजन पासवान द्वारा उपलब्ध कराये गये तथाकथित प्राप्ति रसीद पर तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सत्तरकटैया श्री भगवान ठाकुर के हस्ताक्षर नहीं होने की संभावना से इंकार नहीं किया गया।

सभी पक्षों को सुनने एवं संपूर्ण प्रकरण की समीक्षोपरांत पाया कि श्री पासवान द्वारा दिखलाये जा रहे तथाकथित प्राप्ति रसीद पर अंकित तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सत्तरकटैया श्री ठाकुर के हस्ताक्षर एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा द्वारा उपलब्ध कराये गये तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सत्तरकटैया श्री भगवान ठाकुर के हस्ताक्षर के नमूने एक समान नहीं है। दोनों हस्ताक्षरों में स्पष्ट असमानता है। साथ ही तथाकथित प्राप्ति रसीद की विषय वस्तु अस्पष्ट है तथा मूल में नहीं है।

उपरोक्त तथ्य एवं साक्ष्य आरोपी श्री रामभजन पासवान के अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है। श्री पासवान के द्वारा सरकारी दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही बरती गयी। चूंकि पूर्व में भी अन्य मामले में इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित थी जिसमें आदेश ज्ञापांक 166/पं0, दिनांक 25.03.2015 से दण्ड अधिरोपित किया गया था। अतः श्री पासवान के उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के सर्वथा प्रतिकुल है ऐसी स्थिति में श्री राम भजन पासवान, सरकारी सेवा में बने रहने योग्य नहीं हैं तथा इन्हें कठोरत्तम दण्ड देना बाध्यता है। उपरोक्त साक्ष्य श्री राम भजन पासवान, की सेवा बर्खास्त का पर्याप्त आधार है।

अतः उक्त वर्णित बिन्दु पर प्रमाणित आरोप के आलोक में गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मैं बिनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0 जिला दण्डाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, सहरसा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित–2007 के नियम 14 (XI) में निहित शक्तियों

के आलोक में श्री राम भजन पासवान,तत्कालीन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सत्तर प्रखंड सत्तर कटैया सम्प्रति प्रखंड नवहट्टा सहरसा को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से **बर्खास्त (Dismiss)** करता हूँ।

श्री राम भजन पासवान, तत्कालीन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सत्तर प्रखंड सत्तर कटैया सम्प्रति प्रखंड नवहट्टा से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

1.	कर्मचारी का नाम	श्री राम भजन पासवान
2.	पिता का नाम	श्री रामस्वरूप पासवान
3.	जन्म तिथि	01.01.1966
4.	कार्यालय का नाम	ग्राम पंचायत सत्तर प्रखंड सत्तर कटैया सम्प्रति प्रखंड नवहट्टा
5.	नियुक्ति की तिथि	23.10.1986
6.	वेतनमान	9300 – 34,800
7.	स्थाई पता	ग्राम–मटिहानी पो0–चपराम कोठी, थाना–सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहसा, बिहार

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 42 /पं० दिनांक 31.01.2017 ई०।

प्रतिलिपि :– श्री राम भजन पासवान, तत्कालीन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत–सत्तर, प्रखंड–सत्तर कटैया सम्प्रति प्रखंड–नवहट्टा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहरसा जिला को सूचनार्थ प्रेषित। प्रखंड विकास पदाधिकारी नवहट्टा को अनुपालनार्थ एवं निदेश है कि अधिरोपित दण्ड को श्री राम भजन पासवान, पंचायत सचिव के सेवापुस्त में अंकित करें एवं इनके विरूद्ध अग्रेत्तर कानूनी कार्रवाई करें।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सादर सूचनार्थ एवं सहरसा के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार,पटना /प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

31.1.17
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।